Office of the Executive Engineer
RWD (W) Division, Benipatti

Sl. No.	Year	District	Works Division	Block	Assembly Constituency	Scheme	Name of Road	Package No.	Length (In Km)	Const. Cost (In Lakh)	Maint Const (In Lakh)	Administrative Approval Amount (In Lakh)
1	2019-20	Madhubani	Benipatti	Madhwapur	Harlakhi	PMGSY	Baingra to Taraiya	BR-21R-194	5.099	374.960	34.710	409.670
2	2019-20	Madhubani	Benipatti	Bisfi	Bisfi	PMGSY	Bhagauti to L049 Noorchak	BR-21R-186	6.263	445.510	45.920	491.430
3	2019-20	Madhubani	Benipatti	Benipatti	Benipatti	PMGSY	Dhakjari to Adwari	BR-21R-173	7.622	643.490	36.430	679.920
4	2019-20	Madhubani	Benipatti	Bisfi	Bisfi	PMGSY	Navratan to Gajwa	BR-21R-176	4.181	291.920	26.920	318.840
5	2019-20	Madhubani	Benipatti	Harlakhi	Harlakhi	PMGSY	NH Road to Kudal Madhiya	BR-21R-028	3.199	311.020	19.120	330.140
6	2020-21	Madhubani	Benipatti	Bisfi	Bisfi	PMGSY	Bisfi to Singhiya	BR-21R-181	7.703	643.190	65.300	708.490
7	2020-21	Madhubani	Benipatti	Madhwapur	Harlakhi	PMGSY	L033 to Sujatpur	BR-21R-195	5.170	453.180	35.480	488.660

9.2.21

Executive Engineer
RWD (W) Division, Benipatti

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– BRRDA(HQ)-PMGSY-1652/2019-104 अनु० /पटना, दिनांक–20/01/2020

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता–3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनार्गत कार्य प्रमंडल–बेनीपट्टी के अंतर्गत छः पथों निर्माण कार्य के पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंगः–आपका पत्रांक–I/मु0अ0,त0स्वी0–18–719/19 9877 अनु0 दिनांक–31.12.201

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्य प्रमंडल–बेनीपट्टी के अंतर्गत छः पथों पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त हुआ है, जिसमें चार पथों का पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि प्रशासनिक अनमोदन की राशि से 20 प्रतिशत से कम है जिसकी वस्तुस्थिति निम्नवत हैः–

District	Block	Package No	Name of Road	Length (km)	Original Sanction Cost (Rs. In Lakh)	Original Sanction Maint. Cost(Rs. In Lakh	Total Cost(Rs. In Lakh)	Revised Length (km)	Revised Cost(Rs. In Lakh)	Revise Maint. Cost(Rs. In Lakh)	Total Revised Cost(Rs. In Lakh)	% increase	Cons. Cost Per km(Rs. In Lakh)
Madhubani	Madhwapur	BR-21R-194	Bangra to Taraiya	5.099	326.26	17.61	343.87	5.099	374.96	34.71	409.67	19.14	73.54
Madhubani	Bisfi	BR-21R-186	Bhagauti to L049 (NoorcTak)	6.263	423.64	21.61	445.25	6.263	445.51	45.92	491.43	10.37	71.13
Madhubani	Benipatti	BR-21R-173	Dhakjari to Adwari	7.622	567.76	26.26	594.02	7.622	643.49	36.43	679.92	14.46	84.43
Madhubani	Bisfi	BR-21R-176	Navaratan Tola to Gajawa	4.182	286.24	14.45	300.69	4.181	291.92	26.92	318.84	6.04	69.82

वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 6439 दिनांक–28.08.2018 के कंडिका (अनुसार ''किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिश की वृद्धि होने के स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिये पुनः प्रशा स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर जायेगा।''

उक्त के आलोक में चारो पथों का पुनरीक्षित प्राक्कलन मूल में वापस किया जाता है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

20/01/20

अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–BRRDA(HQ)-PMGSY-518/2019 /पटना, दिनांक–

प्रेषक,

मनोज कुमार,
उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मधुबनी जिला के Harlakhi प्रखंड के **Package No. BR-21R-028, NH Road - Kudal Madhiya** पथ जिसकी पुनरीक्षित लम्बाई **3.199** कि0मी0 तथा पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू0 **330.14 लाख (तीन करोड़ तीस लाख चौदह हजार रूपये)** मात्र है, पर पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत्यादेश पत्रांक सं0–489 अनु0, दिनांक 27.02.2009 के द्वारा मूल प्रशासनिक अनुमोदन का कुल 1 अदद योजना के प्राक्कलन को पुनरीक्षण किया गया है। यह पुनरीक्षण ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या–4168, दिनांक–22.06.2009 के आलोक में किया गया है। पुनरीक्षण के पश्चात बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि का व्यय राज्य योजना से किया जाना है। उपर्युक्त वर्णित स्वीकृत्यादेशों के अनुसार प्रदत्त लम्बाई 3.199 कि0मी0 के लिए निर्माण राशि रू0 243.70 लाख एवं अनुरक्षण राशि रू0 9.23 लाख, कुल रू0 252.93 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति को उत्क्रमित करते हुए 1 अदद योजना, पुनरीक्षित लम्बाई **3.199** कि0मी0 के पथ निर्माण कार्य हेतु रू0 311.02 लाख एवं अनुरक्षण राशि रू0 19.12 लाख कुल राशि रू0 **330.14 लाख (तीन करोड़ तीस लाख चौदह हजार रूपये)** मात्र की राशि के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

इस योजना की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गयी है–

2. (क) योजना के लिए कार्यपालक अभियंता से विस्तृत कार्य योजना मांगी जाये और उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाये।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनाओ का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुरूप हो।

3. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार मानक निविदा अभिलेख पर e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।

4. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

5. यह एक केन्द्रीय योजना है जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देश के आलोक में किया जाना है। पथ निर्माण के लिये Pro-rata के आधार पर स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण लगने वाली अधिकाई राशि का वहन विभाग के योजना बजटशीर्ष–4515 नई सड़कें एवं पुल मद में PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त हाने वाली राशि से किया जाएगा।

6. पथ निर्माण के लिये मूल स्वीकृत राशि रू0 243.70 लाख (निर्माण कार्य हेतु) के विरूद्ध निर्माण कार्य रू0 74.37 लाख व्यय किया जाना प्रतिवेदित है। अतः रू0 169.33 लाख के 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संकल्प संख्या–4168, दिनांक–22.06.2009 की कंडिका 05 (e) के माध्यम से लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण मूल स्वीकृत राशि के अतिरिक्त लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी राज्य योजना मद 4515 में विभाग को स्वीकृत उद्व्यय एवं आवंटन से वहन किया जाएगा तथा कुल रू0 19.12 लाख की राशि अनुरक्षण की होगी जो गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाले राशि से भारित होगा। वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुरक्षण मद अन्तर्गत विभाग का रू0 900 करोड़ का बजट उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में PMGSY योजनान्तर्गत प्रोग्राम फंड के केन्द्रांश मद के लिए रू0 540.00 करोड़ एवं राज्यांश मद के लिए रू0 400.00 करोड़ का बजट उपलब्ध है। कुल 3365.303 करोड़ वर्तमान में उपलब्ध है, का प्रयोग योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के कारण उत्पन्न दायित्व के व्यय के लिए किया जायेगा।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

7. ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

8. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगें।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या एम0–4–53/2007–3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।

10. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

11. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

13. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पॉच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

14. विभागीय संकल्प 4168, दिनांक–22.06.2009 की कंडिका 05 (e) यथा प्रावधान अतिरिक्त व्यय के राज्य योजना मद 4515 में विभाग को स्वीकृत उद्व्यय एवं आवंटन से वहन किया जाना है। तद्सुसार इस योजना में इस प्रावधान का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाना अपेक्षित है।

15. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से संचिका संख्या BRRDA(HQ)-PMGSY- 518/2019 के पृ0–05/टि0 पर दिनांक–03.03.2020 को प्राप्त है।

16. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 4–45/94–301वि (2), दिनांक 31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090वि (2), दिनांक 15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक एम–4–53/2007–2199/वि0, दिनांक–24.03.2017, के प्रावधानों एवं वित्त नियामावली, खण्ड–1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या–मु०अ०–4–PMGSY-5-17/09-4168, दिनांक– 22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)–PMGSY–518/2019 के पृ0–...1.../पृ0 पर दिनांक–9/3/2020 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

9/3/2020

(मनोज कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक :BRRDA(HQ)-PMGSY-518/2019 - 659 /पटना, दिनांक–17/03/2020.

प्रतिलिपि :– संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव 9/3/2020

ज्ञापांक :BRRDA(HQ)-PMGSY-518/2019 659 /पटना, दिनांक– 17/03/2020

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विक विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/सामान्य प्रशा विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण क विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रा0 का० वि०, बिहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रा0 का0 वि0/अभियंता प्र के सचिव (प्रा0), ग्रा0 का0 वि0/संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/ कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 f कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव
9/3/2020

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–BRRDA(HQ)-PMGSY-1654/2019 – 732 /पटना, दिनांक– 21/04/2020

प्रेषक,

संजय दूबे, भा०प्र०से०
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मधुबनी जिला के Bisfi प्रखंड के **Package No. BR-21R-181, Bisfi to Singhia** पथ जिसकी पुनरीक्षित लम्बाई **7.703** कि0मी0 तथा पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू0 **708.49** लाख **(सात करोड़ आठ लाख उनचास हजार रूपये)** मात्र है, पर पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत्यादेश पत्रांक सं0–540 अनु0, दिनांक 02.03.2009 के द्वारा मूल प्रशासनिक अनुमोदन का कुल 1 अदद योजना के प्राक्कलन को पुनरीक्षण किया गया है। यह पुनरीक्षण ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या–4168, दिनांक–22.06.2009 के आलोक में किया गया है। पुनरीक्षण के पश्चात बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि का व्यय राज्य योजना से किया जाना है। उपर्युक्त वर्णित स्वीकृत्यादेशों के अनुसार प्रदत्त लम्बाई 7.703 कि0मी0 के लिए निर्माण राशि रू0 526.16 लाख एवं अनुरक्षण राशि रू0 26.76 लाख, कुल रू0 552.92 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति को उत्क्रमित करते हुए 1 अदद योजना, पुनरीक्षित लम्बाई **7.703** कि0मी0 के पथ निर्माण कार्य हेतु रू0 643.19 लाख एवं अनुरक्षण राशि रू0 65.30 लाख कुल राशि रू0 **708.49 लाख (सात करोड़ आठ लाख उनचास हजार रूपये)** मात्र की योजना के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

इस योजना की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गयी है–

1. (क) योजना के लिए कार्यपालक अभियंता से विस्तृत कार्य योजना मांगी जाये और उसके अनुरूप कार्यों को समुचित ढंग से पूर्ण कराया जाये।
2. (ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनाओं का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुरूप हो।
3. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार मानक निविदा अभिलेख पर e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।
4. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
5. यह एक केन्द्रीय योजना है जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देश के आलोक में किया जाना है। पथ निर्माण के लिये Pro-rata के आधार पर स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण लगने वाली अधिकाई राशि का वहन विभाग के योजना बजटशीर्ष–4515 नई सड़कें एवं पुल मद में PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त हाने वाली राशि से किया जाएगा।
6. पथ निर्माण के लिये मूल स्वीकृत राशि रू0 526.16 लाख (निर्माण कार्य हेतु) के विरूद्ध निर्माण कार्य पर रू0 ...54 लाख व्यय किया जाना प्रतिवेदित है। अतः रू0 466.62 लाख के 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संकल्प संख्या–4168, दिनांक–22.06.2009 की कंडिका 05 (e) के माध्यम से लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण मूल स्वीकृत राशि के अतिरिक्त लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी राज्य योजना मद 4515 में विभाग को स्वीकृत उद्व्यय एवं आवंटन से वहन किया जाएगा तथा कुल रू0 65.30 लाख की राशि अनुरक्षण की होगी जो गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाले राशि से भारित होगा। वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुरक्षण मद अन्तर्गत विभाग का रू0 900 करोड़ का बजट उपलब्ध है।
7. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 में PMGSY योजनान्तर्गत प्रोग्राम फंड के केन्द्रांश मद के लिए रू0 540.00 करोड़ एवं राज्यांश मद के लिए रू0 400.00 करोड़ का बजट उपलब्ध है। कुल 3105.323 करोड़ वर्तमान में उपलब्ध है, का प्रयोग योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के कारण उत्पन्न दायित्व के व्यय के लिए किया जायेगा।

20/3/2020

7. ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

8. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या एम0–4–53/2007–3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।

10. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

11. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

13. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

14. विभागीय संकल्प 4168, दिनांक–22.06.2009 की कंडिका 05 (e) यथा प्रावधान अतिरिक्त व्यय के राज्य योजना मद 4515 में विभाग को स्वीकृत उद्व्यय एवं आवंटन से वहन किया जाना है। तद्सुसार इस योजना में इस प्रावधान का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाना अपेक्षित है।

15. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से संचिका संख्या BRRDA(HQ)-PMGSY- 1654/2019 के पृ0–05/टि0 पर दिनांक–14.02.2020 एवं पृ0–14/टि0 पर दिनांक–12.03.2020 को प्राप्त है।

16. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 4–45/94–301वि (2), दिनांक 31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090वि (2), दिनांक 15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक एम–4–53/2007–2199/वि0, दिनांक–24.03.2017, के प्रावधानों एवं वित्त नियामावली, खण्ड–1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या–मु०अ०–4–PMGSY-5-17/09-4168, दिनांक– 22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)–PMGSY–1654/2019 के पृ0–..... 11/प0 पर दिनांक–......11/02/2020...... को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

20/3/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक BRRDA(HQ)-PMGSY-1654/2019 732 /पटना, दिनांक– 21/04/2020

प्रतिलिपि :– संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक BRRDA(HQ)-PMGSY-1654/2019 732 /पटना, दिनांक– 21/04/2020

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रा0 का० वि०, बिहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रा0 का0 वि0/अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रा0), ग्रा0 का0 वि0/संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/ कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/2020
अपर सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–BRRDA(HQ)-PMGSY-1653/2019 – 811 /पटना, दिनांक– 12/05/2020

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मधुबनी जिला के Madhwapur प्रखंड के **Package No. BR-21R-195, L033 to Sujatpur** पथ जिसकी पुनरीक्षित लम्बाई **5.17** कि0मी0 तथा पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रू0 **488.66** लाख **(चार करोड़ अट्ठासी लाख छियासठ हजार रूपये)** मात्र है, पर पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत्यादेश पत्रांक सं0–540 अनु0, दिनांक 02.03.2009 के द्वारा मूल प्रशासनिक अनुमोदन का कुल 1 अदद योजना के प्राक्कलन को पुनरीक्षण किया गया है। यह पुनरीक्षण ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार के संकल्प संख्या–4168, दिनांक–22.06.2009 के आलोक में किया गया है। पुनरीक्षण के पश्चात बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि का व्यय राज्य योजना से किया जाना है। उपर्युक्त वर्णित स्वीकृत्यादेशों के अनुसार प्रदत्त लम्बाई 5.17 कि0मी0 के लिए निर्माण राशि रू0 371.35 लाख एवं अनुरक्षण राशि रू0 18.16 लाख, कुल रू0 389.51 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति को उत्क्रमित करते हुए 1 अदद योजना, पुनरीक्षित लम्बाई **5.17** कि0मी0 के पथ निर्माण कार्य हेतु रू0 453.18 लाख एवं अनुरक्षण राशि रू0 35.48 लाख कुल राशि रू0 **488.66 लाख (चार करोड़ अट्ठासी लाख छियासठ हजार रूपये)** मात्र की राशि के लिये पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

इस योजना की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गयी है–

2 (क) योजना के लिए कार्यपालक अभियंता से विस्तृत कार्य योजना मांगी जाये और उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाये।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनाओं का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के अनुरूप हो।

3. ग्रामीण कार्य विभाग के संबंधित कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार मानक निविदा अभिलेख पर e-tendering पद्धति से निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।

4. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

5. यह एक केन्द्रीय योजना है जिसका कार्यान्वयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा–निर्देश के आलोक में किया जाना है। पथ निर्माण के लिये Pro-rata के आधार पर स्वीकृत राशि का 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण लगने वाली अधिकाई राशि का वहन विभाग के योजना बजटशीर्ष–4515 नई सड़कें एवं पुल मद में PMGSY (राज्यांश) मद में प्राप्त हाने वाली राशि से किया जाएगा।

6. पथ निर्माण के लिये मूल स्वीकृत राशि रू0 371.35 लाख (निर्माण कार्य हेतु) के विरूद्ध निर्माण कार्य रू0 123.99 लाख व्यय किया जाना प्रतिवेदित है। अतः रू0 247.36 लाख के 60 प्रतिशत का वहन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा PMGSY के लिए निर्धारित Matching State Share के माध्यम से किया जाना है। राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संकल्प संख्या–4168, दिनांक–22.06.2009 की कंडिका 05 (e) के माध्यम से लिये गये निर्णय के अनुसार दर पुनरीक्षण के कारण मूल स्वीकृत राशि के अतिरिक्त लगने वाली अधिकाई राशि का वहन भी राज्य योजना मद 4515 में विभाग को स्वीकृत उदव्यय एवं आवंटन से वहन किया जाएगा तथा कुल रू0 35.48 लाख की राशि अनुरक्षण की होगी जो गैर योजना बजट 3054 से प्राप्त होने वाले राशि से भारित होगा। वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुरक्षण मद अन्तर्गत विभाग का रू0 900 करोड़ का बजट उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में PMGSY योजनान्तर्गत प्रोग्राम फंड के केन्द्रांश मद के लिए रू0 5086.00 करोड़ एवं राज्यांश मद के लिए रू0 333.00 करोड़ का बजट उपलब्ध है। कुल 3072.41 करोड़ वर्तमान में उपलब्ध है, का प्रयोग योजना के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के कारण उत्पन्न दायित्व के व्यय के लिए किया जायेगा।

9/5/2020.

7. ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

8. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगें।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या एम0–4–53/2007–3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के प्रावधानित बिन्दुओं तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में राशि व्यय किया जाना अपेक्षित है।

10. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

11. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

13. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

14. विभागीय संकल्प 4168, दिनांक–22.06.2009 की कंडिका 05 (e) यथा प्रावधान अतिरिक्त व्यय के राज्य योजना मद 4515 में विभाग को स्वीकृत उद्व्यय एवं आवंटन से वहन किया जाना है। तद्सुसार इस योजना में इस प्रावधान का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाना अपेक्षित है।

15. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से संचिका संख्या BRRDA(HQ)-PMGSY- 1653/2019 के पृ0–05/टि0 पर दिनांक–14.02.2020 एवं पृ0–16/टि0 पर दिनांक–25.03.2020 को प्राप्त है।

16. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 4–45/94–301वि (2), दिनांक 31.01.1995, वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)–11–2005–5090वि (2), दिनांक 15.09.2005, वित्त विभाग के पत्रांक एम–4–53/2007–2199/वि0, दिनांक–24.03.2017, के प्रावधानों एवं वित्त नियामावली, खण्ड–1 के नियम 8 के दृष्टिपथ में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प संख्या–मु०अ०–4–PMGSY-5-17/09-4168, दिनांक– 22.06.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)–PMGSY–1653/2019 के पृ0–..... 20 /टि0 पर दिनांक–8.5.2020 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

9/5/2020

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक :BRRDA(HQ)-PMGSY-1653/2019 - 811 /पटना, दिनांक–12/05/2020

प्रतिलिपि :– संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :BRRDA(HQ)-PMGSY-1653/2019 - 811 /पटना, दिनांक– 12/05/2020

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/ मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रा0 का० वि०, बिहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रा0 का0 वि0/अभियंता प्रमुख के सचिव (ग्रा0), ग्रा0 का0 वि0/संबंधित अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल/ कार्यपालक अभियंता, ग्रा0 का0 वि0, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/5/2020

अपर सचिव